जांच आख्या के 19 बिंदुओं पर चर्चा

कार्यशाला

पुलिस आफिस में आयोजित कार्यशाला में मौजूद लोग।

श्रावस्ती, संवाददाता। न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत की जाने वाली जांच आख्या के संबंध में शनिवार को पुलिस कार्यालय सभागार में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें 19 बिंदुओं की जांच आख्या के संबंध में जानकारी दी गई।

कार्यशाला की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने की। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य नई नियमावली के प्रावधानों को समझना, उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा करना तथा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली जमानत प्रार्थना पत्र पर 19 बिंदुओं की जांच आख्या तैयार करने में विवेचकों को प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला में विभिन्न प्रमुख कानूनी प्रावधानों व अभियोजन प्रक्रिया के हर चरण की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य बिन्दु नई नियमावली के प्रावधानों पर विशेष ध्यान देने, 19 बिंदुओं की जांच आख्या में अभियुक्त की स्थिति, अभियुक्त की गिरफ्तारी, आरोप पत्र के संबंध में, पंचायतनामा के संबंध में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में, फर्द बरामदगी के संबंध में, पॉक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट के संबंध आदि का प्रशिक्षण दिया गया। एएसपी ने निर्देशित किया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों की विवेचना करते समय सावधानी और कानूनी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।